अपील सूचना अधिकार संख्या 31/2021 (RCMS 2021/52) (RTI No. 212965271756230) सतवीर निवासी 11/69, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर–334004(मोबाईल नम्बर–83879–76415) (पो.ऑ.नं. 5[illegible]/212780) बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सतवीर उपस्थित नहीं है। **मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2021 से अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी। सूचना का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 303 दिनांक 24.02.2021 से उन्हें अंतरित कर दिया था। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपीलार्थी को समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी दिनांक 13.08.2021 के प्रार्थना पत्र (जरिये ई–मेल) में अंकित किया है कि उसने 1990 से 2000 की वोटिंग लिस्ट व जोड़े गए व काटे गए नाम की वोटिंग लिस्ट मांगी गई थी और उसे सिर्फ 1993 व 1998 की वोटिंग लिस्ट प्राप्त हुई है। अन्य सूचनाएं तहसील कार्यालय से संबंधित थी जो प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए नियमानुसार दोनों कार्यालयों के संबंधित सूचना अधिक[illegible]ही अमल में लाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन [illegible] अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आ[illegible]वेदन पत्र दिनांक [illegible]021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष [illegible]र्थना पत्र प्रस्तुत कर[illegible] सूचना चाही थी:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

निवेदन है कि चाही गई सूचना उपखण्ड कार्यालय/तहसीलदार के चुनाव शाखा सूरतगढ से संबंधित है।

सूरतगढ (।।) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन निमावली 1995 भाग नम्बर 111

(3) मतदाता केन्द्र का नाम

क. गांव का नाम जहां केन्द्र स्थापित – 2 एसटीआर खत्र भवन का नाम – राप्रापा, 2 एसटीआर (दांया)

ग. मतदाता केन्द्र का क्रम संख्या 111 की सम्पूर्ण मतदाता की सूची देवे।

सन 1990 से 2000 तक की सम्पूर्ण मतदाता की सूची बनाई गई एवं मतदाता सूची में जोड़े गए नाम एवं काटे गए नाम की सम्पूर्ण सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का पालन में लिया जवाब, सूचना देने के साथ साथ प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय का हनाम एवं एड्रेस एवं कार्यालय एवं कार्यालय कॉन्टेक्ट नम्बर सूचना के साथ दिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपने पत्रांक निर्वाचन/2021/5098 दिनांक 28.07.2021 से प्रार्थी को जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रा. पत्र में वांछित सूचना समय, श्रम साध्य व लॉकडाउन जनित विलंबित होने से जो इस पत्र के संलग्न निःशुल्क(कुल पृष्ठ–23) कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उक्तानुसार।

-sd-

निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी(एसडीएम)
सूरतगढ़

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का जवाब निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ **द्वारा अपने पत्रांक 5098 दिनांक 28.07.2021 द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है जबकि लोक सूचना अधिकारी को इस पर स्पष्ट निर्णय करना चाहिए था, जो नहीं किया है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को वांछित अभिलेख का अवलोकन करवा देवें और जो सूचनाएं निश्चित अभिलेख के रूप में उपलब्ध हो, वे आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा देवें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी (एसडीएम), सूरतगढ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर